२४/०३/२२

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के बहस सुनी गयी। आदेश कलम से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

मु.न. 02 / 2018

प्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र केशाराम
2. चतराराम पुत्र केशाराम
   जाति माली निवासी खुडाला गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. छगनाराम पुत्र हिमथाराम
2. जेठाराम पुत्र हिमथाराम
3. मेथी पत्नी हिमथाराम
   जाति माली निवासी खुड़ाला तहसील गुड़ामालानी
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
5. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा
6. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम खुडाला पटवार क्षेत्र खुडाला तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 44–11 बीघा का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौसी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 221/1 रकबा 34–13 बीघा मौजा खुडाला में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 221 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 221/1 रकबा 34–13 बीघा में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी[illegible] ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी उपस्थित हुए। भूमि बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 01 दिनांक 21.06.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया वि[illegible]ार्थीगण को खसरा नम्बर 221 में आवागमन हेतु सबसे निकट रास्ता खसरा नम्बर 221/1 में से है, इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 140 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा कुल रकबा 1–01 बीघा है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं मौके पर खाली है। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मौका रिर्पोट पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

ने अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 221 रकबा 44–11 बीघा भूमि में आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 221/1 में से रास्ता मांगा है जबकि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 213 से जुड़ी हुई है तथा खसरा नम्बर 213 की भूमि मेघा हाईवे के जुड़ी हुई है उक्त खसरे की भूमि सरकारी है जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण व अन्य खातेदार एवम् आमजनता अपने पशु चराने व आवागमन के उपयोग में ले रहे हैं। इनके पास विकल्प मौजूद है ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण की भूमि में गलत रूप से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इसलिये मौका रिर्पोट निष्पक्ष राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से मंगवाई जावे। वकील प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण की आपत्ति पर निवेदन किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित रास्ता एवं प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ठ 'अ' द्वारा चाहा गया विकल्प सबसे नजदीकी विकल्प है। विप्रार्थीगण की आपत्ति निराधार है। खसरा नम्बर 213 की भूमि राजकीय भूमि है जिसमें से रास्ते हेतु भूमि कटान नहीं की जा सकती है और खसरा नम्बर 213 में से यदि रास्ता कटान किया जाता है तो इसकी दूरी बहुत ज्यादा अधिक रहेगी। खसरा नम्बर 213 में से रास्ता दिया जाना मात्र काल्पनिक कथन है। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तावित मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ठ 'अ' अनुसार विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 221/1 दो भागों में विभक्त होता है, जबकि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट अनुसार खसरा नम्बर 221/1 के उत्तर–दक्षिण सेढे पर प्रस्तावित किया गया जो सबसे नजदीकी विकल्प प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिर्पोट कमांक 01 दिनांक 21.06.2018 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "हरा रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 221 ग्राम खुडाला में आने–जाने हेतु विप्राथीगण के मौजा खुडाला के खेत खसरा नम्बर 221/16 में से लम्बाई 140 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा कुल रकबा 1–01 बीघा रास्ते हेतु बरंग "हरा" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण [illegible] में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण [illegible], इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वा[illegible] अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/2022 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:58:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी